न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 259/2025 अन्तर्गत धारा 88, 92 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
सरूपसिंह पुत्र हजुरसिंह जाति रावणा राजपुत, निवासी राजबेरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. बाबुसिंह पुत्र हजुरसिंह 2. देवसिंह पुत्र हजुरसिंह 3. पवनकंवर पत्नी गंगासिंह 4. ममताकंवर पुत्री गंगासिंह 5. हिरसिंह पुत्र गंगासिंह जाति रावणा राजपुत, निवासी राजबेरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. ओमसिंह पुत्र नाथूसिंह 7. उसबकंवर पत्नी सवाईसिंह 8. कोजराजसिंह पुत्र भेरसिंह 9. गणपतसिंह पुत्र जुंजारसिंह 10. गुलाबकंवर पत्नी रामसिंह 11. जमना पत्नी हजुरा –फौत 12. दुर्जनसिंह पुत्र गजेसिंह 13. बन्नुकंवर पत्नी गुमानसिंह 14. बाबुसिंह पुत्र हजुरसिंह 15. भवानीसिंह पुत्र रामसिंह 16. महेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंह 17. रावलसिंह पुत्र रामसिंह 18. सगतसिंह पुत्र गुमानसिंह 19. सुगनकंवर पत्नी भैरसिंह 20. सुमेरसिंह पुत्र नाथूसिंह 21. स्वरूपसिंह पुत्र भेरसिंह 22. हाथीसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपुत, निवासी करनगढ तहसील शिव, जिला बाड़मेर 23. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू 24. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 04.05.2026

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा करनगढ, तहसील शिव के खसरा नम्बर 325 रकबा 45.0091 हैक्टेयर तथा मौजा बागावास, तहसील शिव के खसरा नम्बर 237/96 रकबा 6.5964 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी को उनके पिता हजूरा उर्फ हजुरसिंह के फौत होने पर विरासत मे प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी का विरासती नाम[illegible] भरवाया गया, जिसमें वादी का गलत घरेलु व आम बोलचाल का नाम [illegible] पुत्र ह[illegible] का अंकन करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम [illegible] आराजी के राजस्व रेकर्ड मे पक्षकारान के हिस्से खुले हुए है। वर्तमान में वादी का राज[illegible] रेकर्ड में गलत नाम द[illegible] से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड व जन आधार आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम सरूपसिंह पुत्र हजुरसिंह दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी मे अपने सही नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:00:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एव सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम सरूपाराम पुत्र हजुरसिंह व हजुराराम के स्थान पर सही नाम सरूपसिंह पुत्र हजुरसिंह घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सरूपाराम पुत्र हजुरसिह व हजुराराम के स्थान पर सही नाम सरूपसिंह पुत्र हजुरसिंह होना घोषित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम सरूपाराम पुत्र हजुरसिंह व हजुराराम दर्ज है, जबकि वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में वादी का नाम सरूपसिंह पुत्र हजुरसिंह दर्ज है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। वादी अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सरूपाराम पुत्र हजुरसिंह व हजुराराम के स्थान पर सही नाम सरूपसिंह पुत्र हजुरसिंह दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा करनगढ, तहसील शिव के खसरा नम्बर 325 रकबा 45.0091 हैक्टेयर तथा मौजा बागावास, तहसील शिव के खसरा नम्बर 237/96 रकबा 6.5964 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सरूपाराम पुत्र हजुरसिंह व हजुराराम के स्थान पर सरूपसिंह पुत्र हजुरसिंह होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:00:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को मेरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव